पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की विविध अपील संख्या 679

==========

==

1. बिहार राज्य
2. कार्यकारी अभियंता, दुर्गावती कार्य प्रभाग, चेनारी, जिला-रोहतास।

... ... अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 162, आनंदपुरी, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पी. एस.-एस. के. पुरी, जिला-पटना-800001।

.....प्रतिवादी

==========

==

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ के लिए	:	श्री नदीम सिराज, अधिवक्ता
		श्री शैलेश कुमार, अधिवक्ता
		श्री अफहम अख्तर, अधिवक्ता
उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए	:	श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सौरव सुमन, अधिवक्ता
		श्री प्रगति पात्रा, अधिवक्ता
		श्री आलेखानंद, अधिवक्ता
		श्री सर्वेश्वर तिवारी, अधिवक्ता

==========

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट---क्लॉज 10--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987--धारा 2(जी), 10, 11---बिहार पारा मेडिकल और पारा डेंटल एजुकेशनल (संस्था की स्थापना के लिए अनुमति) नियम 2005--नियम 6---बिहार राज्य

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976---धारा 21(2)(डी)--तकनीकी शिक्षा संस्थान को संबद्धता/मान्यता--रिट कोर्ट के निर्णय को चुनौती जिसमें यह माना गया था कि स्थायी संबद्धता के अभाव में और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अपीलकर्ता संस्थान के प्रबंधन की मिलीभगत से अवैध तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गईं-- विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह से प्रदान की गई डिग्रियों को भी अवैध माना गया --- अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि स्वास्थ्य विभाग ने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थायी मान्यता प्रदान की है, और डिग्री पाठ्यक्रमों के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दिया है --- अपीलकर्ताओं का आगे तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि एक बार विश्वविद्यालय ने संस्थान को प्रवेश लेने की अनुमति दे दी है और इसके अनुसार संस्थान ने प्रवेश ले लिया है और पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, फिर ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को छात्रों और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश देना पूरी तरह से अनुचित है।

निर्णय: इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थान को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पाठ्यक्रम नवनिर्मित संस्थान भवन में संचालित किए जाएंगे तथा कमियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। न तो यह अपीलकर्ताओं का मामला है और न ही सामग्री से पता चलता है कि किसी भी समय, संबंधित संस्थान ने एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त किया है या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान के निरीक्षण के लिए एआईसीटीई के समक्ष कोई आवेदन भी दायर किया है और न ही विश्वविद्यालय अधिनियम या नियम, 2005 के तहत परिकल्पित निर्देशों का कोई अनुपालन किया गया है--- संस्थान को कभी भी मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से स्थायी संबद्धता नहीं मिली है, लेकिन यह अपने छात्रों के लिए पैरा मेडिकल/तकनीकी पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित

करता रहा है, जिसके लिए नियम, 2005 के तहत राज्य या एआईसीटीई की मान्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया है - अपीलकर्ता छात्रों को वास्तविक छात्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संबंधित संस्थान को कभी भी स्थायी संबद्धता नहीं दी गई थी - संबद्धता के लिए अपीलकर्ता संस्थान के अनुरोध को विशेष रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय के पास उन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है जिनमें पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे; ताकि संबद्धता के प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके - विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता के बिना और वैधानिक निकाय की मंजूरी के बिना संस्थान में छात्रों को प्रवेश देना अमान्य और अवैध है और इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री अपने आप में अवैध थी - आरोपित आदेश/निर्णय में कोई कमी नहीं है - लेटर्स पेटेंट अपील खारिज। (पैरा 4, 5, 7, 21, 23, 28, 32, 33)

(1995) 4 एससीसी 104, (2009) 4 एससीसी 590, (2018) 1 एससीसी 468 …….पर भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 08-01-2025

वर्तमान अपील का ज्ञापन वर्तमान ज्ञापन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 37 (1) (सी) के तहत दायर किया गया है, जो सासाराम में विद्वान जिला न्यायाधीश, रोहतास द्वारा 2021 का विविध मामला संख्या 44 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत और जहां-विद्वान न्यायाधीश ने के तहत अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को सीमापरिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत लाभ दिए बिना सीमा कलबाधा के आधार पर प्रवेश स्तर पर खारिज कर दिया गया था।

2. इस अपील के साथ एक अंतर्वर्ती आवेदन भी है जिसमें इस अपील को दायर करने मे 129 दिन की देरी को माफ करने की मांग की गई है। शुरुआत में, अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुतदलील करते हैं कि हालांकि आवेदन में अनजाने में 129 दिनों की देरी का उल्लेख किया गया है और अपील पर 60 दिनों से बाधित तक की रोक लगाई गई है। अंतर्वर्ती आवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील प्रस्तुतदलील करते हैं कि अपील दायर करने में देरी मुख्य रूप से इसलिए हुई है क्योंकि फाइल, क्षेत्र से मुख्यालय/विभाग में जाती है और विभाग में भी फाइल सहायक के स्तर से स्थानांतरित होती है और यह विभिन्न अधिकारियों को पार करने के बाद संयुक्त सचिव/सचिव के स्तर तक पहुंच जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन पर भरोसा रखते हुए

बिहार राज्य और अन्य बनाम कामेश्वर पी. डी. सिंह का मामला और 2000 (3) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 81 में पैरा 11 में दर्ज किया गया समान मामला;

> *".....न्यायालय तक पहुँचने में देरी को माफ करने की शक्ति न्यायालयों को प्रदान की गई है ताकि वे गुण-दोष के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय कर सकें।यह न्यायालय ने कलेक्टर भूमि अधिग्रहण अनंतनाग और अन्य बनाम.एमएसटी. काटजी और अन्य [1987 (2) एस. सी. आर. 387] में अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम में विधायिका द्वारा नियोजित 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति न्यायालयों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है-जो कि न्यायालयों की संस्था के अस्तित्व का जीवन उद्देश्य है।*
>
> *आगे यह देखा गया है कि एक उदार दृष्टिकोण सिद्धांत पर अनुकूलित किया जाता है, यह महसूस किया जाता है किः*
>
> > *"1. आम तौर पर एक वादी देर से अपील दायर करने से लाभान्वित नहीं होता है।*
> >
> > *2. देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक योग्य सराहनीय मामले को शुरूआत में ही बाहर फेंक दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है।इसके विपरीत जब देरी को माफ कर दिया जाता है, तो सबसे अधिक*

जो हो सकता है वह यह है कि पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर एक कारण तय किया जाएगा।

3. 'हर दिन की देरी के लिए स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए 'इसका मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए।हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं?सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

4. जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष गैर-जानबूझकर देरी के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है।

5. ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी कभी-कभी जानबूझकर या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण या दुर्भावना के कारण होती है।एक वादी को देरी का सहारा लेने से लाभ नहीं होता है।

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपनी शक्ति का सम्मान नहीं करती है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की उम्मीद की जाती है.....।"

2.i. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा अपील दायर करने में देरी के 'पर्याप्त कारण' की जांच करने के मामले में अनुमेय सीमापरिसीमा के भीतर अक्षांश की निश्चित सीमा मात्रा की ढील की अनुमति है। ***1996 (3) एस. सी. सी. 132*** में रिपोर्ट किया गया ***हरियाणा राज्य बनाम चंद्रमणि और अन्य*** के मामले में यह देखा गया कि राज्य को एक व्यक्ति के समान आधार पर नहीं रखा जा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा ***विशेष तहसीलदार भूमि अधिग्रहण, केरल बनाम केवी आयसूम्मा*** के मामले में भी देखा गया है कि राज्य द्वारा देरी के आधारों/कारणों और गुणवान मामलों की सराहना करने वाले उदार दृष्टिकोण की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जा सकती है ताकि न्याय का कारण विफल न हो।इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि विवरणों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले में शामिल बिहार राज्य के नीतिगत निर्णय पर विचार करते हुए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील दाखिल करने में होने वाली देरी को इस आधार पर माफ किया जाए कि प्रधान सचिव के स्तर तक की आधिकारिक प्रक्रियाओं और विचार-विमर्श/राय/अनुमोदन की प्रणाली में कुछ समय लगा।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने 129 दिनों की देरी को माफ करने के आवेदन का विरोध करते हुए आग्रह किया कि अपीलकर्ता दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपील दायर करने में देरी का 'पर्याप्त कारण' बताने में विफल रहे और देरी का कारण मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक देरी के कारण बताया क्योंकि फाइल मुख्यालय और विभाग में जाती है और निर्णय लेने में समय लगता है और इसे विभिन्न चरणों को पार करना पड़ता है और इसलिए अकेले प्रशासनिक कारण देरी को माफ करने का कारण नहीं हो सकता है। वह आगे प्रस्तुतदलील करता है कि अपीलकर्ताओं ने लेटर्स पेटेंट अपील के तहत विलंब आवेदन की माफी दायर की है, लेकिन वर्तमान मामला विविध अपील है और गलत धारा के

तहत है जो मामले के बारे में उनकी जागरूकता और गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनका तर्क है कि यह एक साधारण कानून है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम से संबंधित मामलों में, अपील दायर करने में देरी की माफी एक अपवाद के रूप में दी जा सकती है न कि एक नियम के रूप में। इसके अलावा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल अभिनिर्धारित किया था। क्योंकि अपीलार्थी एक राज्य है, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता है कि विलंब की माफी पर विचार करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल के ***महाराष्ट्र बनाम मेसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 खंड 6 एससीसी 460 के*** फैसले में बरकरार रखा है। प्रतिवादी का विद्वान वकील आगे प्रस्तुतदलील करता है कि ***मैसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर में,*** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि देरी की माफी के लिए सरकार के लिए अलग-अलग मानदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं। पैराग्राफ नं. 59 के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पढ़ा गया हैः

> *"59. इसी तरह, केवल इसलिए कि सरकार शामिल है, देरी को माफ करने के लिए एक अलग पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सम्मानपूर्वक* ***पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, 2012 (3) एससीसी 563*** *कहा गया था"*

3.i. उन्होंने आगे प्रस्तुतदलील किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर जोर देते हुए, विवादों के त्वरित समाधान ने माना है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति अपील प्रावधान में प्रदान की गई अवधि से परे लंबी देरी को कवर करने के लिए पर्याप्त लोचदार नहीं है। अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' स्वयं लापरवाही और

बासी दावों को दबाने के लिए एक ढीला रामबाण नहीं है जो सबसे कठोर और *लापरवाही से चमक* के दृष्टिकोण की कमी को दर्शाता है। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि आवेदन को उस अपील के साथ खारिज कर दिया जाए जो स्पष्ट रूप से सीमापरिसीमा द्वारा वर्जित है।

4. मामले के तथ्यों और अभिलेख पर सामग्री का गहराई से अध्ययन और जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि पक्षकार इस बात से *सहमत* हैं कि अपील दायर करने में 129 दिनों की देरी हुई है। आवेदन के विभिन्न अनुच्छेदों से प्रासंगिक उद्धरण जिसमें प्रतिवादी ने घटनाओं के अनुक्रम का उल्लेख किया है।वही नीचे पढ़ा गया हैः

09.07.2016	कार्य आदेश और समझौता।
23.07.2018	कार्यकारी अभियंता द्वारा रद्द किया गया अनुबंध और एस. बी. डी. के खंड-3 के तहत बकाया धन और प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया गया
30.07.2018 – 06.08.2018	दावेदार को 10 साल के लिए काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए और आगे, दावेदार कंपनी को 10 साल के लिए काली सूची में डाल दिया गया।
03.08.2018	दावेदार ने 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 15400 वाले रिट आवेदन को प्राथमिकता दी
23.08.2018	इस माननीय न्यायालय द्वारा दावेदार के पक्ष में रिट आवेदन को अनुमति दी गई थी। आदेश का प्रासंगिक पैरा-34।
06.09.2018	राज्य ने 2018 का 1282 संख्या वाले एल. पी. ए. को प्राथमिकता दी।
04.10.2018	आदेश में यह देखा गया कि इस न्यायालय ने किसी भी पक्ष के पक्ष में योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और अनुबंध के खंड 25 के अनुसार पक्षों के बीच विवाद का निर्णय मध्यस्थ

	न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना आवश्यक है।
	दावेदार ने 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 28459 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
12.11.2018	माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखना उचित समझते हैं जिसमें मामले को मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय देने का निर्देश दिया गया है।" ***उपरोक्त मध्यस्थता का संचालन इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव कीर्ति सिंह द्वारा किया जाएगा। पक्षों की सहमति से, काली सूची में डालने के औचित्य के मुद्दे पर भी विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता होगी***

	काली सूची में डालने के संबंध में अंतरिम संरक्षण के लिए आवेदन करें।
06.12.2018	***1st मध्यस्थ न्यायाधिकरण की पहली बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों और वकीलों द्वारा भाग लिया गया और अनुसूची तैयार की गई।*** उसी दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के रूप में अंतरिम संरक्षण की मांग करने वाले आवेदन के साथ दावा भी दायर किया गया था।
26.11.2019	दावेदार द्वारा प्रस्तुतदलील दावे के आधार पर दावेदार के पक्ष में माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित एक मध्यस्थ पुरस्कार और

	शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निर्धारित काली सूची में डालने के औचित्य पर भी।
सीमापरिसीमा अवधि शुरू होती हैः 26.11.2019	धारा 34 (3) के अनुसार- अपास्त के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया थाः बशर्ते कि, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।
सीमापरिसीमा अवधि समाप्त हुईः23.02.2020	तत्काल मामले में, 90 दिनों की सीमापरिसीमा अवधि 23.02.2020 पर समाप्त हो गई।
23.07.2021 (516 दिनों की देरी)	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत 2021 का एक सिविल विविध मामला संख्या 44 जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम की अदालत में दायर किया गया था।
29.05.2023	जिला न्यायाधीश, रोहतास द्वारा सासाराम में पारित ***आदेश-प्रवेश स्तर पर खारिज कर दिया गया।*** क्रम का प्रासंगिक पैरा-8 से 11। ***राज्य द्वारा प्रस्तुतदलील निवेदन-*** कि उन्हें मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई उचित सूचना नहीं मिली है। ***अदालती निष्कर्ष-*** याचिकाकर्ता मध्यस्थ के समक्ष पेश हुआ और उनकी उपस्थिति में पुरस्कार पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का दिनांकित आदेश 12.11.2018-पक्षों की

	सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति। इसलिए, इसके बारे में जानकारी न होने का कोई मतलब नहीं है। विद्वान जिला न्यायाधीश, सासाराम ने यह भी कहा कि याचिका केवल प्रतिवादी (मेसर्स बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) को परेशान करने के लिए दायर की गई है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मामले को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। • सिविल विविध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया थाः 1. वर्तमान आवेदन दाखिल करने में देरी 2. आवेदन में उनके द्वारा उठाए गए आधारों को विद्वत न्यायालय द्वारा उचित विचार के बाद स्वीकार्य नहीं पाया गया। 3. इसलिए, सिविल विविध को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था

07.10.2023 129 दिनों की देरी	राज्य द्वारा 2023 की विविध अपील संख्या 679 दायर की जा रही है। • मामला निर्धारित सीमापरिसीमा अवधि के बाद दायर किया गया था। • इसलिए, डाक टिकट रिपोर्टर द्वारा 04.11.2023 पर आवेदन में एक दोष की ओर इशारा/ इंगित किया गया था। • राज्य ने दोष इंगित करने के बाद 21.03.2024 (139 दिनों की देरी) पर विलंब आवेदन की माफी दायर की।

5. प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथियों की उपरोक्त सूची के अवलोकन से, मैं पाता हूं कि अपीलार्थी ने वर्तमान मामले के विभिन्न चरणों में ढिलाई दिखाई

है।अपीलार्थी निर्धारित समय अवधि के भीतर रोहतास के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में विफल रहा था और उसने 516 दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध किया था।इसके अलावा, अपीलार्थी ने विद्वान जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम द्वारा सिविल विविध 2012 का मामला संख्या 44 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 के खिलाफ वर्तमान विविध अपील दायर करने में 129 दिनों की देरी को माफ करने के लिए 04.10.2023 और 2024 के I. A. संख्या 1 पर 21.03.2024 पर यह अपील दायर की। ।

6. शुरुआत में, कानून के प्रासंगिक प्रावधान प्रस्तुतदलील करना अनिवार्य् है, परिसीमापरिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 तत्काल मामले में लागू हैः

> ***"5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार***— *सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रावधानों में से किसी के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलार्थी या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।स्पष्टीकरण-—यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।.*

"अनुसूची "

सूट का विवरण	सीमापरिसीमा	जिस समय से अवधि शुरू होती

	की अवधि	है
116. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन- (क) किसी डिक्री या आदेश से उच्च न्यायालय को। (ख) किसी डिक्री या आदेश से किसी अन्य न्यायालय को।	नब्बे दिन तीस दिन।	डिक्री या आदेश की तारीख। डिक्री या आदेश की तारीख।
17. किसी भी उच्च न्यायालय की डिक्री या आदेश से लेकर उसी न्यायालय तक।	तीस दिन।	डिक्री या आदेश की तारीख।

7. कानूनी स्थिति यह है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमापरिसीमा से परे प्रस्तुतदलील किया गया है, अपीलार्थी को अदालत को यह समझाना होगा कि *'पर्याप्त कारण'* क्या था जिसने उसे सीमापरिसीमा अवधि में अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका। ***मजजी सन्नेम्मा बनाम रेड्डी श्रीदेवी, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1260,*** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही सीमापरिसीमा किसी पक्ष के अधिकारों को कठोर रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे कानून द्वारा निर्धारित किए जाने पर अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ***अजय डबरा बनाम प्यारे राम, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 92*** में भी संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"13. यह न्यायालय ***बासवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81]*** के मामले में । पर्याप्त कारण की कमी के कारण देरी की माफी के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करते हुए पैराग्राफ 15 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला हैः

"15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमापरिसीमा से परे प्रस्तुतदलील किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक उचित और पर्याप्त कारण जो उसे सीमापरिसीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से सद्भावना का अभाव पाया जाता है, या परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है।यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना,

वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की घोर अवहेलना करने के समान है।

8. उपरोक्त निर्णय इस बात पर जोर देता है कि देरी को माफ करने के विवेकाधिकार का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और *'पर्याप्त कारण'* अभिव्यक्ति की उदारता से व्याख्या नहीं की जा सकती है, अगर मामले के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही, निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी रही है।'पर्याप्त कारण' शब्द का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से वास्तविक इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए थी।

9. ***भारत संघ बनाम जहांगीर बिरामजी जीजीभॉय (डी) में अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 489,*** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विलंब को उदारता के मामले के रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी पक्ष की कीमत पर पर्याप्त न्याय नहीं दिया जाना चाहिए। उसी का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

"24. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम तब तक मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेंगे जब तक कि हम आश्वस्त नहीं हैं कि इतनी लंबी और अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनाया गया है।

जब 12 साल से अधिक की सकल देरी को माफ करने की बात आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वादी एक निजी पक्ष है या भारत का राज्य या संघ। यदि वादी कानून के प्रासंगिक

प्रावधानों के तहत निर्धारित समय बीतने के लंबे समय बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुनता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि देरी को माफ किए जाने से दोनों पक्षों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा।

26. अदालत का कर्तव्य है कि वह पहले क्षमा की मांग करने वाले पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की वास्तविकता का पता लगाए।यह केवल तभी है जब वादी और दूसरे पक्ष के विपक्ष द्वारा सौंपा गया पर्याप्त कारण समान रूप से संतुलित हो कि अदालत विलम्ब को क्षमा करने का उद्देश्य के लिए मामले के गुणागुण की सहायता कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा किः

27. हमारा विचार है कि सीमापरिसीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। सीमापरिसीमा के नियम ठोस सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमें अपीलार्थियों की सनक और कल्पना पर निर्धारित किया जाने वाले 'डेमोक्लिस की तलवार' को प्रतिवादी के सिर पर अनिश्चित काल के लिए लटकाए नहीं रखना चाहिए।

10. अपीलार्थियों द्वारा निर्धारित मामले के तथ्यों के अवलोकन से, मुझे पता चलता है कि अपीलार्थी ने 23.07.2021 पर मध्यस्थता पंचाट को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।मध्यस्थता पंचाट माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा 26.11.2019 को पारित किया गया था। अपीलार्थी के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

प्रतिवादी में सीमापरिसीमा के विस्तार के लिए संज्ञान (सुओ मोटो राइट एप्लीकेशन (सी) संख्या 3 2020) पर भरोसा किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमापरिसीमा के उद्देश्यों के लिए बाहर रखा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप 03.10.2021 पर शेष सीमापरिसीमा की शेष अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से प्रभावी होगी। हालाँकि यहाँ यह ध्यान रखना उचित है कि था। अदालत ने सही निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने की सीमापरिसीमा की अवधि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले समाप्त हो गई थी, यानी 23.02.2020 पर और इस प्रकार पूर्व निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होगा। अपीलार्थी ने जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम के समक्ष सिविल विविध याचिका दाखिल करने में सरासर शिथिलता दिखाई और यह याचिका 23.07.2021 पर दायर की जानी है। अपीलार्थी की यह दलील कि वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के ***उत्तरदाताःसीमापरिसीमा के विस्तार के लिए संज्ञान (सुओ मोटो राइट एप्लीकेशन (सी) संख्या 3/2020)*** फैसले **से आच्छादित है** इस प्रकार कानून में मान्य नहीं है।

11. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकुमार चौधरी, 2024 आई. एन. एस. सी. 932 में*** देखा गया है, किः

> *"समय के साथ, हमने देखा है कि जब भी देरी की माफी के लिए कोई याचिका होती है, चाहे वह किसी निजी वादी या राज्य के कहने पर हो, तो उस समय से ही देरी की व्याख्या करने की मांग की जाती है, सीमापरिसीमा शुरू हो जाती है और यदि इसके अंत तक 2 साल या 3 साल या 4 साल की*

देरी होती है। उदाहरण के लिए यदि सीमापरिसीमा की अवधि 90 दिन है तो माफी मांगने वाले पक्ष को यह बताना होगा कि वह उस सीमापरिसीमा की अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने में क्यों असमर्थ था। 91वें दिन के बाद अंतिम दिन तक जो घटनाएँ घटित होती हैं, का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि पक्षकार के रास्ते में क्या आया कि वह इसे 1 दिन और 90वें दिन के बीच दाखिल करने में असमर्थ था। यह सच है कि एक पक्ष अपील दायर करने के लिए सीमापरिसीमा के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करने का हकदार है। लेकिन जब यह सीमापरिसीमा को समाप्त करने की अनुमति देता है और पहले अपील दायर नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण का अनुरोध करता है, तो पर्याप्त कारण यह स्थापित करना चाहिए कि सीमापरिसीमा समाप्त होने से पहले उत्पन्न होने वाली किसी घटना या परिस्थिति के कारण समय के भीतर अपील दायर करना संभव नहीं था।सीमापरिसीमा की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाली कोई भी घटना या परिस्थिति इस तरह का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती है।सीमापरिसीमा की समाप्ति के बाद ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो अपील दायर करने में और देरी कर सकती हैं।लेकिन यह कि अपील दायर किए बिना सीमापरिसीमा को समाप्त करने की अनुमति दी गई है, सीमापरिसीमा की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाले कारण का पता लगाया जाना चाहिए। (देखिएः ***अजीत***

सिंह ठाकुर सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 733)।

12. वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता *'पर्याप्त कारण'* दिखाने में विफल रहा है जो उसे निर्धारित अवधि के भीतर, अर्थात 01.09.2023 से पहले इस अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के लिए आवेदन दायर करने से रोकता है। अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस और दमदार कारण नहीं दिया है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन क्यों दाखिल नहीं कर सका और क्या पर्याप्त कारण था जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई।

13. इसके अलावा, अपीलार्थी के वकील का यह तर्क कि अपील दायर करने में देरी क्षेत्र से मुख्यालय/विभाग और विभाग में सहायक के स्तर से और विभिन्न अधिकारियों को पार करने के बाद संयुक्त सचिव/सचिव के स्तर तक फाइलों की धीमी गति के कारण हुई थी, देरी को माफ करने के लिए *"पर्याप्त कारण"* प्रदान नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ***मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. (ऊपर) के मामले में*** निम्नलिखित रूप में आयोजित किए गएः

> *"12. वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमापरिसीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग अदालत की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्तियों के साथ था।प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम एक सवाल उठा रहे हैं कि देरी को केवल इसलिए यांत्रिक रूप से माफ किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार या सरकार की एक शाखा हमारे सामने एक पक्ष है।हालाँकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देरी को*

माफ करने के मामले में जब कोई बड़ी लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी, नहीं की गई थी, तो जारी किया। पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत को अपनाना होगा, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है।उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. यह अवलोकन अपने लिए बताता है कि सरकारी विभागों के संबंध में भी देरी की कोई व्यापक माफी नहीं है।न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना है।कोई भी संगठन अपनी जानबूझकर निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकता है और विलंब के लिए अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए तथ्य और परिस्थितियाँ विचार के योग्य नहीं हैं। ***नागालैंड राज्य बनाम लिपोक आओ*** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कई पूर्वनिर्णयों का उल्लेख किया और कहा कि पर्याप्त कारण का प्रमाण न्यायालय में निहित विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है:***((2005) 3 एससीसी 7852, पैरा 8)***

"8. जो मायने रखता है वह देरी की लंबाई नहीं है, बल्कि कारण की पर्याप्तता और देरी की कमी विवेकाधिकार का उपयोग करने में ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थितियों में से एक है।"

14..i. इसी मामले में न्यायालय ने राज्य और उसकी एजेंसियों/उपकरणों के कामकाज में होने वाली सामान्य नौकरशाही देरी का भी संज्ञान लिया और कहाः

> *"13. अनुभव से पता चलता है कि एक अवैयक्तिक तंत्र (मामले के प्रभारी को सीधे तौर पर अपील के अधीन किए जाने वाले फैसले से प्रभावित या आहत नहीं किया जाता है) और नोट बनाने, फाइल-धक्का देने और पारित करने के साथ विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण, इसकी ओर से देरी को समझना कम कठिन है, हालांकि इसे मंजूरी देना अधिक कठिन है। जो राज्य समुदाय के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, वह वादी-गैर-वांछनीय दर्जे का हकदार नहीं है। इसलिए, न्यायालयों को पर्याप्त कारण की अभिव्यक्ति की व्याख्या के क्रम में प्रावधान की भावना और दर्शन के साथ सूचित किया जाना चाहिए।*

14.ii. इसके अलावा ***एन. बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति, (1998) 7 एस. सी. सी. 123,*** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

> *"देरी की अवधि कोई बात नहीं है, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है। कभी-कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण की कमी के कारण सबसे छोटी सीमापरिसीमा की देरी अक्षम्य हो सकती है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, बहुत लंबी सीमापरिसीमा की देरी क्षमा की जा सकती है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण संतोषजनक है। एक बार जब अदालत स्पष्टीकरण*

को पर्याप्त के रूप में स्वीकार कर लेती है, तो यह विवेकाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम होता है और आम तौर पर उच्च न्यायालय को इस तरह के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में बहुत कम, जब तक कि विवेकाधिकार का प्रयोग पूरी तरह से असमर्थनीय आधारों या मनमाना या विकृत न हो। लेकिन यह एक अलग मामला है जब पहली अदालत देरी को माफ करने से इनकार कर देती है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय देरी के लिए दिखाए गए कारण पर नए सिरे से विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा और यह ऐसे उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह यहां तक कि निचली अदालत के निष्कर्ष से भी अप्रभावित होकर भी अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आए।

14.iii. ***मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एस. सी. सी. 157*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्य और उसकी एजेंसियों/उपकरणों से जुड़े मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लिया जाता है, लेकिन राज्य के अधिकारियों और/या इसकी एजेंसियों/उपकरणों की ओर से पूरी तरह से सुस्ती या पूरी तरह से लापरवाही के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जा सकता है और देरी को माफ करने के लिए उनके द्वारा दायर आवेदनों को इस याचिका को स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है कि मामले को सीमापरिसीमा की सीमापरिसीमा के आधार पर खारिज करने से जनहित को नुकसान होगा।

14.iv. तत्काल मामले में यह देखा गया है कि अपीलकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश, रोहतास के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर

करने में 516 दिनों की देरी के लिए माफी मांगी थी और याचिका को स्वीकार करने के स्तर पर ही खारिज कर दिया गया था, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान सिविल विविध याचिका दाखिल करने में अत्यधिक ढिलाई दिखाई। याचिका.अपीलार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति शीघ्रता और सतर्कता दिखाने में विफल रहे हैं। उन्होंने मामले से निपटने में पूरी तरह से लापरवाही दिखाई है।अपीलार्थी विलम्ब की अवधि की परवाह किए बिना विलम्ब के कारण की पर्याप्तता को उचित ठहराने में विफल रहा है। जिला न्यायाधीश, रोहतास का विवादित आदेश 29.05.2023 पर पारित किया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने आदेश की तारीख के एक महीने बाद, यानी 24.06.2023 पर आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और 28.06.2023 पर प्राप्त किया गया। त्वरित कार्रवाई न करने का कारण क्या था, यह अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। इसके अलावा वर्तमान अपील 129 दिनों की देरी के बाद 04.10.2023 पर दायर की गई है। यह पाया गया है कि विलंब की क्षमा के लिए दायर आवेदन और अपीलार्थी के शपथ पत्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से मौन हैंः

(क) इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पुरस्कार की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन 24.06.2023 तक क्यों दायर नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 34 के तहत उनके आवेदन को जिला न्यायाधीश द्वारा उसी आधार पर पहले ही खारिज कर दिया गया था, यानी निर्धारित अवधि के बाद याचिका दायर करना।

(ख) मध्यस्थता पुरस्कार के अभिलेख की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति और वर्तमान आवेदन दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

(ग) ऐसा क्यों है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आवेदन सीमापरिसीमा की निर्धारित अवधि से परे दायर किया गया था।

(घ) यद्यपि राज्य ने अपनी ओर से मामले चलाने के लिए कई वकीलों को नियुक्त किया है, फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि जिन निर्णयों के खिलाफ अपील करने की मांग की गई है, उनकी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने में क्या बाधा थी।

15. वर्तमान मामला अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपेक्षा, गैर-गंभीरता और लापरवाही का एक स्पष्ट मामला है। सरकारी तंत्र में प्रक्रियात्मक बाधाएं इस तथ्य के आलोक में देरी को माफ करने के लिए *'पर्याप्त कारण'* नहीं हैं कि पहले से ही जिला न्यायाधीश ने प्रवेश के चरण में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उनकी याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि यह परिसीमा द्वारा वर्जित था। ***नए इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. केसर, ए. आई. आर. 1996 राज. 28,*** के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर करने में केवल 16 दिनों की देरी के लिए माफी के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया, जो सकल-लापरवाही और प्रत्येक दिन की देरी और पर्याप्त कारण के अभाव के आधार पर था। ***भारत संघ बनाम बेस्को लिमिटेड, 2024:डीएससी:9291:डीबी*** के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील को खारिज कर दिया क्योंकि 112 दिनों की देरी दिखाने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था और तदनुसार उक्त अपील को खारिज कर दिया गया था। वर्तमान मामले में भी यह देखा गया है कि वर्तमान याचिका दायर करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

16. माननीय सर्वोच्च की टिप्पणियाँ ***ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी और अन्य की प्रबंध समिति, (2013) 12 एस. सी. सी. 644*** में, तत्काल मामले में भी प्रासंगिक है।इस अनुपात में, देरी की माफी पर

विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को इस तरह की माफी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संक्षेपित किया गया था;

> *"21. उपरोक्त अधिकारियों से जिन सिद्धांतों को व्यापक रूप से निकाला जा सकता है वे हैंः*
>
> *(iv) देरी के जानबूझकर कारण के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वकील या वादी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए।*
>
> *21.5.(v) विलंब को क्षमा करने की मांग करने वाले पक्ष के लिए विश्वसनीय तथ्यों की कमी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।*
>
> *21.7.(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा तर्कसंगतता को दर्शाती है और इसे पूरी तरह से निर्बाध मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।21.9.(ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।यह इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है।*
>
> *21.10.(x) यदि प्रस्तुतदलील स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में आग्रह किए गए आधार काल्पनिक हैं, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से उजागर न करें।*
>
> *22.1.(क) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन का मसौदा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए न कि इस धारणा को*

ध्यान में रखते हुए कि न्यायालयों को इस सिद्धांत के आधार पर विलम्ब को माफ करने की आवश्यकता है कि गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना न्याय वितरण प्रणाली के लिए मौलिक है।

22.4.(घ) विलंब को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को गैर-लापरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

[जोर दिया गया]

17. सीमापरिसीमा के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है। वे यह देखने के लिए हैं कि पक्षकार 2023 का विलम्बकारी रणनीति का सहारा न लें, लेकिन तुरंत उनका उपचार लें।सीमापरिसीमा का कानून इस तरह की कानूनी चोट के निवारण के लिए इस तरह के कानूनी उपचार के लिए एक जीवनकाल तय करता है। सीमापरिसीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह सूक्ति इंटरेस्ट रिपब्लिके अप सिट फिनिस लिटियम (यह सामान्य कल्याण के लिए है कि मुकदमेबाजी के लिए एक अवधि रखी जाए) में निहित है।

18. कानून के उपरोक्त प्रावधानों और विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में, मेरा विचार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतदलील स्पष्टीकरण अपील को भरने में 129 दिनों की देरी को माफ करने के लिए कोई भी *"पर्याप्त कारण"* नहीं दिखाता है, जो अन्यथा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना आवश्यक था, जिसे अनुसूची, द्वितीय खंड-अपील (अनुच्छेद सं. 116) सीमापरिसीमा अधिनियम, 1963 के साथ पढा जाता है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***महाराष्ट्र सरकार बनाम मेसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर और ठेकेदार प्रा. लि. (ऊपर) पैरा 23*** में भी

यही अवलोकन किया गया है। .तत्काल मामले में, अपील याचिका देर से दायर करने में अपीलार्थी द्वारा दिखाई गई घोर लापरवाही के अलावा, यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने सिविल विविध अपील के बजाय लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी और वह भी कानून के गलत प्रावधानों के तहत। यह रवैया फिर से अपीलार्थी का कठोर रवैया का उदाहरण है और घोर लापरवाही और लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि शीर्ष न्यायालय के विभिन्न पूर्वनिर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट है कि किसी पक्ष का आचरण, व्यवहार और रवैया उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित देरी को माफ करने के लिए प्रासंगिक कारक हैं। ऐसे मामले में, अपीलार्थी की 2024 की आई. ए. नं. 1 में वे आधार नहीं बताते हैं जो सीमापरिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए *"पर्याप्त कारण"* का गठन करेंगे। इसलिए अंतर्वर्ती आवेदन को खारिज कर दिया जाता है और इस प्रकार वर्तमान अपील को भी खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह प्रवेश के चरण में ही सीमापरिसीमा द्वारा वर्जित है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।